

दिनांक 19.12.2017

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ निगम भिलाई के महापौर परिषद ने विभिन्न हितग्राही मूलक पेंशनों के 141 प्रकरण, शिवाजी नगर अंतर्गत छावनी स्थित मुक्तिधाम ने श्रमिक प्रदाय के लिए दर नेगोशियेशन आमंत्रित करने एवं पांच अभियंताओं के रोके गये वेतन वृद्धि के प्रस्तावों पर सर्व सम्मति से विचार विमर्श कर स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

महापौर परिषद की बैठक प्रभारी महापौर श्रीमती सुभद्रा सिंग की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गई जिसमें जोन कार्यालयों से प्राप्त जोन समिति की स्वीकृति उपरान्त इन्दरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन के 141 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुशंसा की गई है। शिवाजी नगर अंतर्गत छावनी स्थित मुक्तिधाम में विभिन्न व्यवस्था हेतु श्रमिक प्रदाय कार्य हेतु वर्तमान में प्रचलित सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार प्रति श्रमिक 442 रुपये प्रति श्रमिक प्रति दिन में स्वीकृत दर एवं सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग द्वारा स्वीकृत दर से अधिक होने के कारण परिषद ने दर नेगोशियेशन आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की है। सहायक अभियंता संजय शर्मा, संजय अग्रवाल, आर.के. पदमवार, अरविन्द शर्मा, टी.के. रणदिवे, के असंचयी प्रभाव से रोके गये वेतनवृद्धि के आदेश को निरस्त किये जाने की सर्वसम्मति से अनुशंसा प्रदान किया है।

बैठक में महापौर परिषद के सदस्य दीवाकर भारती, केशव बंछोर, सुशीला देवांगन, दुर्गा प्रसाद साहू, साकेत चन्द्राकर, सोशन लोगन, शबीना बानो, पेंशन शाखा के प्रभारी अधिकारी मूर्ति शर्मा, प्रभारी शिक्षा अधिकारी राघवेन्द्र राव, सहायक अभियंता अखिलेश चन्द्राकर, स्थापना अधीक्षक देवव्रत देवांगन, सचिव जीवन वर्मा, उपस्थित थे।

जन सम्पर्क विभाग

